प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
सिविल अपीलीय अधिकार

सिविल अपील संख्या - 1773/2002

तलत फातिमा हसन और
उनके नियुक्त अधिवक्ता श्री. सईद मेंहदी हसन ----------अपीलार्थी (गण)

बनाम

एल.आर.एस. और अन्य के द्वारा
नवाब सईद मुर्तजा अली खान (डी) ----------प्रत्यर्थी (गण)

के साथ,

सिविल अपील सं। 4012/2002

सिविल अपील सं. 1773/2002

में

अवमानना याचिका (सिविल) सं. 1079/2018

निर्णय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायमूर्ती, दीपक गुप्ता,

1. क्या तत्कालीन शासक के द्वारा घोषित सम्पत्तियों का उत्तराधिकारी, अपनी व्यक्तिगत सम्पितयों को भारतीय संध में उत्तराधिकार के समझौते में उत्तरधिकारी का नियम "गद्दी" (शासक) लागू होगा या शासक के निजी नियम लागू होगें, वर्तमान अपील में यह प्रश्न विचारण के लिए है।

2. ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उप महाद्वीप से वापस लेने का फैसला किया और इस संबंध में योजना 03. 06. 1947 को प्रकाशित की गई जिसमें दो देशों, भारत और पाकिस्तान के गठन की परिकल्पना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसार दो स्वतंत्र उपनिवेश-भारत और पाकिस्तान बनाए गए। राजा-महाराजाओं को यह निर्णय करने का अधिकार था कि भारत या पाकिस्तान किस उपनिवेश का समर्थन करें। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 6 में यह उपबंध किया गया था कि राज्य के शासक द्वारा सम्मिलन-करार का निस्पादन किया जाना है। विभिन्न शासकों ने विभिन्न तिथियों पर सम्मिलन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। कुछ तुरंत

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

15. 08. 1947 और कुछ बाद में। कुछ शासकों ने स्वेच्छा से अपना क्षेत्र भारतीय संघ को सौंप दिया और कुछ को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत सरकार और रियासतों की विभिन्न वार्ताओं में शासकों को कुछ विशेषाधिकार और सुविधाएं देने का फैसला किया गया। जिन विशेषाधिकारों को शासकों को दिया जाना था उनमें कुछ नियमों के संचालन से छूट, और शासकों के जागीर और व्यक्तिगत गुण, और उनके परिवारों के सदस्य, शासकों के भाइयों और बहनों के विवाह खर्च के राज्यों द्वारा भुगतान, कानून की अदालतों की कुछ प्रक्रियाओं से प्रतिरक्षा, विशिष्ट नम्बर प्लेट, तोपों से सलामी का उपयोग शामिल था, आदि।

3. नवाब रज़ा अली खान रामपुर के शासक थे। रामपुर राज्य भारत संघ में सम्मिलित हो गया। 15. 05. 1949 को नवाब द्वारा विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। विलय समझौते की शर्तों के अनुसार, नवाब अपने से संबंधित सभी निजी संपत्तियों (राज्य की संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद के हकदार थे और उन्हें उपनिवेशी सरकार को ऐसी अचल संपत्तियों की सूची आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।। नवाब ने आदेश (रोबकार्स) दिनांक 31. 05. 1949 और 27. 06. 1949

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को कई संपत्तियों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में घोषणा की। विलय समझौते के संदर्भ में, रामपुर ने 01. 07. 1949 को भारत संघ का हवाला दिया और चीफ कमीश्नर द्वारा केंद्रीय प्रशासित प्रांत बन गया। नवाब रज़ा अली खान को अनुच्छेद 366 के खंड (22) भारत का संविधान, 1950 के संदर्भ में एक शासक घोषित किया गया था। वह 06. 03. 1966 को समाप्त हो गया। यह विवादित नहीं है कि नवाब रज़ा अली खान की मृत्यु बिना वासीयत किये हो गई।

4. भारत के गवर्नर जनरल और रामपुर के नवाब के बीच 15. 05. 1949 को निष्पादित सम्मिलन लिखत के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

> "अनुच्छेदः- 2
>
> नवाब को उन्हीं व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों, प्रतिष्ठाओं और उपाधियों का उपभोग करना जारी रखेगा, जिनका उन्होंने उपभोग किया होता यदि यह करार नहीं किया गया होता।
>
> xxxx xxxx xxxx
>
> अनुच्छेदः- 4

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नवाब इस समझौते की तारीख को उससे संबंधित सभी निजी संपत्तियों (राज्य संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद के हकदार होंगे।

नवाब 30 जून, 1949 से पूर्व उपनिवेशी सरकार को ऐसी निजी संपत्ति के रूप में उसके द्वारा धारित सभी स्थावर संपत्ति, प्रतिभूतियों और नकद अतिशेष की सूची देगा।

यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या संपत्ति की कोई भी वस्तु नवाब या राज्य की संपत्ति की निजी संपत्ति है, तो इसे भारत सरकार द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी को भेजा जाएगा और उस अधिकारी का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

XXX XXX XXX

अनुच्छेदः- 6

उपनिवेशी सरकार राज्य की गद्दी के प्रति विधि और प्रथा के अनुसार उत्तराधिकार और नवाब के व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, सम्मान और उपाधियाों की गारंटी देती है ।

5. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि अनुच्छेद 1 के अनुसार, नवाब ने रामपुर राज्य के शासन के संबंध में और उसके लिए पूर्ण कार्यकारी प्राधिकारी, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को और 01. 07. 1949 से अपनी

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सभी शक्तियों को उपनिवेशी सरकार को हस्तांतरित कर दिया। अनुच्छेद 3 नवाब को करों से मुक्त रु. 7,00,000/- का एक राज्य भत्ता (प्रीवी पर्स) प्राप्त करने का हकदार है। अनुच्छेद 5 के अधीन, नवाब के कुटुम्ब के सभी सदस्य 15. 08. 1947 के पूर्व के विशेषाधिकार, सम्मान और उपाधियां पाने के हकदार थे। इस मामले को तय करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 8 और 9 प्रासंगिक नहीं हैं।

6. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विलय के साधन को निष्पादित करने के बाद, भारत का संविधान 26. 11. 1949 को अपनाया गया था और 26. 01. 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 291, जैसा कि प्रासंगिक समय था, बशर्ते कि किसी भारतीय राज्य का शासक भारतीय संघ की सरकार द्वारा आश्वासन के अनुसार राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) की रकम का हकदार होगा। अनुच्छेद 362 में उपबंध किया गया है कि जब कभी संसद या विधान-मंडल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वे विधियां बना लेते हैं या जहां संघ या राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं वहां सम्यक रूप से गारंटी और विश्वस्त करता है जाती है या किसी

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारतीय संघ के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, और सम्मानों के संबंध में, जो शासक ने भारत डोमिनियन के साथ प्रविष्ट किया था, ऐसी किसी भी अनुबन्ध या समझौते के तहत दिया गया शासक। अनुच्छेद 363 न्यायालयों की अधिकारिता को ऐसे संधियों, करारों, प्रसंविदाओं आदि से उत्पन्न विवादों पर विचार करने के लिए वर्जित करता है संविधान के प्रारंभ से पहले किसी ऐसे भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा, जिसके लिए भारत उपनिवेशी सरकार की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार थी, संविधान के प्रारंभ से पहले उसका अतिक्रमण या निष्पादन किया गया था. अनुच्छेद 366 के खंड (22) में, शासक को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: -

> **366 परिभाषाएँः-** इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता नहीं है, यह कहना की उन्हें सौपीं निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ यहाँ क्रमशः हैं,
>
> (1) XXX XXX XXX
> (2) XXX XXX XXX
> (3) XXX XXX XXX
>
> (22) किसी भारतीय राज्य के संबंध में " शासक " से ऐसा राजा, मुख्य या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा अनुच्छेद 291 के खंड (1) में यथानिर्दिष्ट कोई करार या करार किया गया हो और जिसे राष्ट्रपति द्वारा राज्य के शासक के रूप में

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तत्समय मान्यता दी जाती है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे राष्ट्रपति द्वारा तत्समय ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है;

7. नवाब रज़ा अली खान की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 366 के खंड (22) के संदर्भ में उनके सबसे बड़े बेटे नवाब सैयद मुर्तजा अली खान, प्रतिवादी सं.1 (मृतक के बाद से) शासक होगा। अन्य दलों में से किसी ने भी इस घोषणा को चुनौती नहीं दी कि प्रतिवादी संख्या - 1 को राजा होने के लिए मान्यता दी जाए। 01. 04. 1966 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या - 1 को न केवल रामपुर के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी बल्कि यह भी प्रमाणित किया गया था कि वह स्वर्गीय नवाब रज़ा अली खान द्वारा धारित चल और अचल सभी निजी संपत्तियों के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। प्रमाण पत्र को सैयद जुल्फिकार अली खान ने चुनौती दी थी, प्रतिवादी संख्या - 3 (मृतक के बाद से), नवाब रज़ा अली खान का दूसरा बेटा, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर किया। नवाब रज़ा अली खान की बेटियों द्वारा इसी तरह की तीन अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18. 12. 1969 के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निर्णय के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। प्रतिवादी संख्या - 1 ने इस न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौती दी

8. 18. 12. 1969 को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, वादी जो नवाब रज़ा अली खान की पोती है, ने नवाब रज़ा अली खान द्वारा छोड़ी गई सूट संपत्तियों के संबंध में विभाजन, खातों, मेस मुनाफे के लिए मुकदमा दायर किया। 28. 12. 1971 को, 26 वें संविधान संशोधन द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 291 और 362 को निरसित कर दिये गये थे। अनुच्छेद 363(क) जोड़ा गया और अनुच्छेद 366 के खंड (22) में शासक की परिभाषा में संशोधन किया गया। इस तरह किए गए संशोधनों के मद्देनजर, 07.01.1972 को वादी ने वर्ष 1970 में दायर मुकदमे को वापस ले लिया और नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ नया मुकदमा दायर किया और वास्तव में, उसी तारीख को एक नया मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा जिला न्यायाधीश, रामपुर के समक्ष दायर किया गया था और वर्तमान कार्यवाही उक्त मुकदमे से उत्पन्न हुई थी। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि दोनों, वर्ष 1970 में दायर मुकदमे में और

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वर्ष 1972 में दायर मुकदमे में, जिला न्यायाधीश, रामपुर ने आदेश दिया था कि प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय के अगले आदेश तक संपत्तियों का अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा

9. यह न्यायालय, प्रतिवादी सं.- 1 दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, उसी संपत्ति के लिए पक्षकारों के बीच दीवानी मुकदमे के लंबित होने के कारण प्रमाणपत्र को अभिखंडित करने वाले आदेश में बाधा डालने से इनकार कर दिया। इसमें आगे निर्देशित किया गया कि जिस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था, वह वादी या प्रतिवादियों के दावे के समर्थन में किसी भी पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया जाएगा जो इस बीच दायर किया गया था। इसलिए, इन कार्यवाहियों को तय करते समय इस प्रमाण पत्र को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

10. जनवरी 1995 में, उक्त मुकदमा मूल वाद संख्या - 4/1972 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया था और स्वयं द्वारा कोशिश की गई। विद्वत एकल न्यायाधीश ने 31.07.1996 को मुकदमा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एक अपील सुनी गई, जिसने दो अलग-अलग सहमति वाले निर्णयों से अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील में।

11. ट्रायल कोर्ट के समक्ष दलीलों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि वादी का मामला यह था कि विलय समझौते के संदर्भ में नवाब रज़ा अली खान द्वारा घोषित संपत्तियां उनकी निजी संपत्ति थीं और सभी कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्तिगत विधी के अनुसार संपत्ति में एक हिस्सा पाने के हकदार हैं। वादी ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 को 01.01.1950 को रामपुर राज्य तक विस्तारित किया गया था और भारतीय उपनिवेश की सम्पत्ति को रद्द करने के बाद और विशेष रूप से भारत के संविधान के प्रवर्तन के बाद, नवाब रज़ा अली खान राज्य भत्ते (प्रिवी पर्स) और कुछ व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, प्रतिरक्षा, गरिमा और उपाधियों का प्रयोग करने के उद्देश्यों के लिए एक शासक थे, लेकिन उत्तराधिकार और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए वे देश के साधारण नागरिक थे। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का मामला यह था कि

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संपत्ति, नवाब की व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में कड़ाई से नहीं बोल रही थी। प्रतिवादियों के अनुसार, संपत्ति रामपुर राज्य के 'गद्दी' से जुड़ी हुई थी और इसलिए, यह उत्तराधिकार के कानून द्वारा शासित थी, जो कि रामपुर के शासनतंत्र पर लागू थी, जो कि पुरुष प्राथमिक पालन का नियम था, जिसका मूल रूप से मतलब है कि वरिष्ठतम पुरुष उत्तराधिकारी अन्य सभी उत्तराधिकारियों के बहिष्कार के लिए सभी निर्णय लेता है। यह भी आग्रह किया गया था कि संपत्ति एक अविभाज्य संपत्ति थी और इसलिए, उसको ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त निर्धारित करेगा।

12. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह भी विवादित नहीं है कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) लागू अधिनियम, 1937 रामपुर राज्य पर लागू था निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या नवाब रज़ा अली खान की संपत्तियां ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त को लागू करके उनके सबसे बड़े बेटे पर समर्पित होंगी या मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित होंगी और अपने सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को समर्पित होंगी।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

13. मूल वादी की ओर से पेश हुए विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर चंद्रा ने कहा की उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती किया कि व्यक्तिगत कानून ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त लागू नहीं था और नवाब की संपत्ति को ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त द्वारा नियंत्रित किया जाना था, इस तथ्य के मद्देनजर कि वह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शासक था। अपने तर्क के समर्थन में, श्री चंद्रा ने विलय समझौते की व्याख्या और संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर भी विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया।

14. श्री चंद्रा द्वारा पहली संविधान पीठ के ***विश्वेश्वर राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] एस. सी. आर***. के फैसले में विश्वास किया । उस मामले में, शासक से संबंधित संपत्तियों के कुछ हिस्से और विलय की अनुबन्धा में निजी संपत्तियों के रूप में घोषित किए गए, राज्य द्वारा ***केंद्रीय प्रांत और बरार उन्मूलन के तहत मालिकाना अधिकारों (संपदा, महलों, प्रथक भूमि) विधेयक, 1949*** के तहत ले जाने की मांग की गई थी। एक चुनौती यह थी कि महाराजा की संपत्ति को उसकी निजी संपत्ति घोषित किया गया था, उस

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर राज्य द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने संविधान के अनुच्छेद - 362 के उपबंध का उल्लंघन किया था । उक्त दावे पर विचार करते हुए जस्टिस एम.सी.महाजन, निम्न धारित करते है।

> 'यह सच है कि विलय के अनुबन्ध से याचिकाकर्ता की संपत्तियां राज्य की संपत्तियों से अलग होने के रूप में उनकी निजी संपत्तियां बन गईं, लेकिन उनके संबंध में वह निजी संपत्ति रखने वाले किसी अन्य मालिक की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं हैं। अनुच्छेद 362 विलय के अनुबन्ध द्वारा निजी संपत्तियों के रूप में घोषित संपत्तियों के अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाता है और उनके स्थायी अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। अनुच्छेद में निहित गारंटी केवल एक सीमित सीमा की है। यह आश्वासन देता है कि शासकों की संपत्तियों को उनकी घोषित निजी संपत्तियों को राज्य की सम्पत्ति के रूप में दावा नहीं किया जाएगा। गारंटी की इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उस गारंटी का पूरी से तरह आक्षेपित विधि के द्वारा सम्मानित किया गया है, जैसे उन संपत्तियों को उनकी निजी संपत्तियों के रूप में मानता है और उन्हें उस धारणा पर हासिल करना चाहता है.....।

न्यायमूर्ति दास ने अपने निर्णायक निर्णय निम्न हैः-

> "इस बात की गारंटी या आश्वासन, जिसका उचित आदर करना है, शासक का शासक के रूप व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गणमान्य व्यक्तियों तक सीमित है। यह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यक्तिगत संपत्ति तक नहीं फैलता जो कि व्यक्तिगत अधिकारों से अलग है।"

15. अगला फैसला ***सुधान्सु शेखर सिंह देव बनाम उड़ीसा राज्य 2(1961) 1 एस.सी.आर.*** पर निर्भर था। इस मामले के तथ्य यह थे कि तत्कालीन सोनेपुर के शासक ने भारतीय उपिनवेश के साथ विलय का समझौता को निष्पादन किया था, जिसकी शर्तें रामपुर विलय समझौते के समान थीं। उड़ीसा राज्य की कृषि आय, उड़ीसा कृषि आयकर अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अधीन था। सोनपुर के शासक ने एक याचिका दायर की और कहा कि राज्य के विलय से पहले, राज्य के शासक के रूप में, वह अपने क्षेत्र के अन्दर और बाहर दोनों स्थानों पर अपनी निजी संपत्तियों के संबंध में कराधान के दायित्व से प्रतिरक्षा कर रहा था। यह दावा किया गया था कि जहां तक उनके राज्य के भीतर की संपत्तियों का संबंध था, वह किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे और जहां तक राज्य के बाहर की संपत्तियों का संबंध था, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के मद्देनजर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। उनके अनुसार, चूंकि विलय समझौते द्वारा उनके विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा की रक्षा की गई थी, इसलिए उन्हें कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता था। उनके तर्क को दोहराते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ निम्न धारित करते है।

"..... अनुच्छेद 4 और 5 के द्वारा प्रत्याभूत विशेषाधिकार एक पूर्व शासक के रूप में अपीलकर्ता के व्यक्तिगत विशेषाधिकार है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और उन विशेषाधिकारों का विस्तार उसकी व्यक्तिगत संपत्ति तक नहीं है...."

16. अपीलकर्ता के लिए विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर चंद्रा ने इस न्यायालय के ***के.एस.वी.आर. सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (1969) 3 एससीसी 150*** के फैसले पर मजबूत भरोसा रखा। एतस्मिनपश्चात् इसे धौलपुर मामला कहा गया है तथ्य यह था कि जब धौलपुर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। महाराजा उदयभान सिंह उस राज्य के जाने माने शासक थे। उन्होंने विलय के अनुबन्ध को निष्पादित किया और अनुबन्ध में एक प्रावधान था जिसमें उन्हें अपनी निजी संपत्तियों को घोषित करने और उन्हें अपनी निजी संपत्तियों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। 22. 10. 1954 को राजा उदयभान सिंह का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कोई पुरुष वारिस नहीं छोड़ा। उन्होंने एक विधवा और एक पुत्री को पीछे छोड़ दिया जिसका विवाह नाभा के महाराजा से हुआ था। उनकी विधवा ने अपने पोते यानी पुत्री के बेटे को अपनाया और उसे महाराजा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे महाराजा के छोटे भाई के बेटे थे और इस प्रकार, पुरुष वंशानुवंशीय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) के सिद्धान्त को लागू करके उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के हकदार थे। इस विवाद को, जिसे ढोलपुर का शासक घोषित किया जाना चाहिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (माननीय न्यायमूर्ति के. एन. वांचू) की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा गया था इस समिति ने सिफारिश की स्वर्गीय शासक के विधवा के दत्तक पुत्र महाराजा राणा श्री हेमंत सिंह को ढोलपुर का राजा घोषित किया जाए। इस सिफारिश को संघ सरकार और भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 366 के खंड (22) के संदर्भ में स्वीकार किया, महाराजा राणा श्री हेमंत सिंह को ढोलपुर का राजा घोषित किया।

17. इसके बाद, स्वर्गीय शासक के भतीजे ने एक याचिका दायर की जिसमें यह आग्रह किया गया था कि धौलपुर के शासक राणा उदयभहन सिंह द्वारा पीछे छोड़ दी गई संपत्ति एक अविभाज्य संपत्ति थी और इसे पुरुष परंपरा के ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) के सिद्धान्त द्वारा नियंत्रित किया जाना था। यह प्रतिवाद किया गया था कि विलीनीकरण करार की शर्तों के अनुसार, उपनिवेशी सरकार ने राज्य के 'गद्दी' के उत्तराधिकार की विधि के अनुसार

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उत्तराधिकार की गारण्टी दी थी और इसलिए याची घोषित शासक होने और संपत्ति के भी हकदार थे. संविधान पीठ निम्न धारित कहते है:

> 6 ..... यह प्रकट है कि अंतिम शासक की निजी संपत्तियों के लिए अधिकार उक्त निजी संपत्तियों को उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून पर निर्भर करता है। शासक की मान्यता राजा की गद्दी में सफल होने का अधिकार है। राष्ट्रपति के शासकों की यह मान्यता राष्ट्रपति में निहित राजनीतिक शक्ति का एक अभ्यास है और इस प्रकार राष्ट्रपति के विशुद्ध रूप से कार्यकारी क्षेत्राधिकार का एक उदाहरण है। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, शासकों की मान्यता का कार्य निजी संपत्तियों के अधिकार की मान्यता के किसी भी कार्य से जुड़ा नहीं है.....
>
> न्यायालय भी इस प्रकार धारित किया है:
>
> 9- राजाओं की मान्यता व्यक्तिगत स्थिति में से एक है। यह नहीं कहा जा सकता है कि शासकों की मान्यता का दावा या तो विशुद्ध रूप से विरासत का विषय है या विचलन द्वारा वंशानुक्रम का विषय है। न ही राजाओं की मान्यता का दावा केवल अनुबन्धों और संधियों पर आधारित हो सकता है। इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 363 संधियों और करारों से उत्पन्न विवाद में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्जन का गठन करता है एक अनुबन्ध के आधार पर शासकों की मान्यता का कोई दावा विधि न्यायालय में उचित नहीं है। इसलिए, संविधान के लिए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्वारा शासकों की मान्यता का कार्य।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10. यह माना जाना चाहिए कि शासक की निजी संपत्तियों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (22) के भीतर ग्रहण नहीं किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा किसी शासक की मान्यता की बात करता है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि एक शासक की मान्यता ने स्वयं शासक को संपत्ति के साथ तत्काल निवेश किया और उस शासक और संपत्ति को एक साथ मिलाया गया। मठपति के मामले में कार्यालय और संपत्ति के संयोजन का एक चित्रण एक सादृश्य के रूप में उद्धृत किया गया था। गणित के मामले में कार्यालय के लिए संपत्ति एक परिशिष्ट है। ट्रस्टी के कार्यालय का उदाहरण उस उत्तर को प्रस्तुत करता है जहां ट्रस्टी में कार्यालय और संपत्तियां निहित हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि शासक की मान्यता शासक की निजी संपत्तियों की मान्यता से बाध्य है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति के आधार पर है और बाद में उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित है। राष्ट्रपति द्वारा शासित राजाओं की मान्यता शासक की निजी संपत्तियों के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं दे रही है क्योंकि राजाओं की मान्यता राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति का एक प्रयोग है। शासक की मान्यता और शासक की निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार के बीच का अंतर सबसे आगे रखा जाना चाहिए। राजाओं की निजी सम्पत्ति के अधिकार राजाओं की मान्यता के विषय नहीं हैं। शासक की मान्यता संपत्ति का सूचक नहीं है, बल्कि यह शासक को अनुच्छेद 291 में अनुध्यात राज्य भत्ते (प्रिवी पर्स) के उपभोग तथा संविधान के अनुच्छेद 362 में उल्लिखित किसी भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इसलिए,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

शासकों की मान्यता संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं है। यदि याचिकाकर्ता के पास अंतिम शासक से संबंधित किसी भी निजी संपत्ति का कोई दावा है, तो याचिकाकर्ता ने किसी भी विधि अदालत में ऐसा कोई दावा स्थापित नहीं किया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा मान्यता के बाद शासक के पास निजी संपत्तियां थीं, जो अंतिम शासक से संबंधित थीं। यदि याचिकाकर्ता के पास ऐसी निजी संपत्तियों के संबंध में शासक के साथ कोई प्रतिस्पर्धी अधिकार है, तो ऐसा दावा न तो मौलिक अधिकार है और न ही यह राष्ट्रपति द्वारा एक शासक की मान्यता के कार्य में शामिल है।

18. रेवाथिनाल बी. वर्मा बनाम एच. एच. पद्मनाभा दास (1993) सप्लिमेंट.1 एससीसी 233, के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक निर्णय, एतस्मिनपश्चात में 'त्रावणकोर मामले' कहा जाता है, दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है. इस मामले के तथ्य यह हैं कि श्री पद्मनाभ दास बाला राम वर्मा त्रावणकोर के महाराजा थे और उनके शासक थे। त्रावणकोर राज्य का पूर्ववर्ती कोचीन राज्य के साथ विलय हो गया और भारतीय संध के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। 01.07.1949. महाराजा द्वारा भारत के संघ के साथ एक अनुबन्ध प्रारम्भ किया गया था, जिसकी शर्तें समान हैं और जो गुण विवाद के विषय थे, उन्हें महाराजा की निजी संपत्ति घोषित किया गया था। महाराजा के परिवार के एक सदस्य रेविथल

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बालगोपाला वर्मा ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें यह दावा किया गया था कि महाराजा इन संपत्तियों के एकमात्र मालिक नहीं थे, भले ही उन्हें शासक की निजी संपत्ति घोषित किया गया हो। यह आग्रह किया गया था कि शासक ने इन गुणों को इस रूप में रखा है एक अविभाजित 'मरूमक्कथयम तरवाड' का 'कर्णवन' या एक अचल संपत्ति का एक सतानी है। तर्क यह दिया गया कि संपत्तियों में एक अविभाज्य संपत्ति शामिल थी। संपत्ति के लिए उत्तराधिकार पहले ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) के सिद्धान्त द्वारा शासित था, इस तथ्य के मद्देनजर कि महाराजा 01. 07. 1949 को शासक बनना बंद कर दिया था, संपत्तियां उस परिवार या तारवाड़ की संपत्तियां बन गईं, जिनके शासक सम्बन्धित थे और इसलिए, 17. 06. 1956 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने पर अविभाज्य संपत्ति विभाज्य संम्पत्ति बन गई।

19. यह विवादित नहीं था कि जहां तक सम्मिलन से पहले की स्थिति का संबंध है, शासक से शासक को सौपी गई संपत्तियां में ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त लागू होगा । इस न्यायालय ने इस तर्क को नकार

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिया कि विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, संपत्तियां महाराजा की निजी संपत्तियां बन गईं और एक अविभाजित परिवार से संबंधित नहीं थीं। यह माना जाता था कि जब महाराजा त्रावणकोर राज्य के संप्रभु थे, तो वह सभी संपत्तियों पर स्वामित्व के अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे और राज्य की संपत्तियों और निजी संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं था। इस सिद्धांत पर राज्य की संपत्तियों और निजी संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं निकाला जा सकता है कि एक संप्रभु कभी मर नहीं जाता है और उत्तराधिकार के बिना खाली स्थान के अगले शासक को मिल जाता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महाराजा ने विवादित संपत्तियों को उसकी निजी संपत्ति घोषित किया था, अभियोगी का दावा है कि वाद की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, खारिज कर दिया गया था। यह माना जाता था कि संपत्तियां महाराजा की निजी संपत्तियां थीं, जैसा कि उनके द्वारा कहा गया था।

20. इस मुद्दे पर,विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिवादी सं-1 की तरफ से आये विद्वत वरीष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. गांगुली ने ***प्रताप सिंह बनाम***

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सरोजिनी देवी (1994) सप्लिमेंट. 1 एससीसी 734 वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा किया है एतस्मिनपश्चात् इसे "नभा मामला" कहा गया है। इस मामले में, यह न्यायालय दो अलग-अलग कार्यवाहियों के साथ काम कर रहा था, हालांकि एक ही निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया था। 20 शताब्दि के दूसरे दशक के प्रारंभिक वर्षों में नाभा एक राजसी राज्य था और महाराजा रिपुदमन सिंह नाभा राज्य के शासक सरदार थे। ब्रिटिश सरकार ने सन् 1923 में शासक के रूप में अपनी सत्ता वापस ले ली। सन् 1928 में महाराजा को औपचारिक रूप से गद्दी से निकाल कर सीमा से बाहर कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने 1942 में अपनी मृत्यु तक तमिलनाडु कें कोडाइकनाल में निवास किया। वह अपनी पत्नी सरोजिनी देवी, और उनके तीन बेटों, प्रताप सिंह, खड़ग सिंह, गुरबख्श सिंह और दो बेटियों कमला देवी और विमला देवी को छोड़ गये। सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह को ब्रिटिश सरकार ने नाभा के शासक के रूप में पहचाना और बाद में उन्होंने भारतीय संघ के साथ विलय का करार किया। स्टर्लिंग कैस्टल का उल्लेख उनकी निजी संपत्तियों की सूची में किया गया था।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

21. यहां यह बताना उचित होगा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य के बाहर संपत्तियों की खरीद के संबंध में शासकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराजा रिपूदमन सिंह ने 21. 12. 1921 को अपने मित्र डॉ. तेहल सिंह के नाम पर शिमला में स्थित 'स्टर्लिंग कैस्टल' के नाम से एक संपत्ति खरीदी थी जब वह महाराजा थे। **30. 04. 1952 को, डॉ. तेहल सिंह ने महाराजा रिपूदमन सिंह के तीन बेटों और उनकी विधवा पत्नी के नाम से सम्पत्ति का परित्याग विलेख निष्पादित किया और उनकों उसकी उपाधि दिया।** प्रताप सिंह, जो एक विदख्यात शासक है, ने संपत्ति पर पूर्ण अधिकार का दावा किया और महाराजा रिपूदमन सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों के सम्पत्ति के हक से इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि यह संपत्ति नाभा राज्य के धन से खरीदी गई थी और संपत्तियां महाराजा रिपुदमन सिंह की संपत्ति थीं और इसलिए, ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त द्वारा शासित थीं। सरोजिनी देवी, खड़ग सिहं और गुरबख्श सिंह के नाबालिग बच्चों ने विभाजन आदि के लिए मुकदमा दायर किया। संपत्ति के संबंध में। इस मूल वाद का विचारण हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में किया गया। यह माना गया कि संपत्ति महाराजा रिपुदमन सिंह द्वारा बेनामी खरीदी गई थी। विद्वत एकल

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायाधीश ने कहा कि ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त महाराजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर लागू नहीं होगा और केवल राज्य की संपत्ति पर लागू होगा। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रताप सिंह द्वारा दायर अपील में कहा कि यह स्थापित नहीं किया गया था कि संपत्ति महाराजा रिपुदमन सिंह के निजी कोष से खरीदी गई थी और इसलिए, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी और इसलिए, वाद खारिज कर दिया गया और अपील को अनुमति दी गई।

22. दिल्ली के सिविल लाइंस में एक संपत्ति से संबंधित एक अन्य अपील को इसी निर्णय के द्वारा तय की गई है। प्रताप सिंह ने अपनी मां, दो भाइयों और दो बहनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यह सम्पत्ति 1922 में एक गुरनारायन सिंह गिल के नाम से खरीदी गई थी, किंतु नाभा राज्य के अधिकारियों द्वारा उसका प्रबंध किया गया था। जब उन्होंने इस सम्मिलन विलेख पर हस्ताक्षर किए तब इस आधार पर, कि यह उनकी निजी संपत्ति थी और इसलिये इस संपत्ति को प्रताप सिंह की व्यक्तिगत संपत्ति घोषित किया गया,और उसके कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि संपत्ति नाभा राज्य की थी और महाराजा रिपुदमन सिंह की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी और मुकदमा डिक्री कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले को यह मानते हुए अपास्त कर दिया कि संपत्ति महाराजा रिपूदमन सिंह की व्यक्तिगत संपत्ति थी और उनकी मृत्यु पर, उनके बेटों पर, व्यक्तिगत कानून के अनुसार विकसित हुई। विधवा को हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के तहत कुछ हिस्से का हकदार ठहराया गया था। तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

23. इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि संपत्तियों का मूल मालिक कौन था, इस न्यायालय ने यह माना कि जब महाराजा रिपुदमन सिंह शासक थे, तो वह संप्रभु थे और पूरे नाभा राज्य पर सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग करते थे। सभी सम्पत्ति उनके उपर निहित थी और राज्य और व्यक्तिगत संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं था। भारतीय राज्यों के श्वेत पत्र के पैरा 157 पर निर्भर था जो निम्नानुसार है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

57.... पूर्व के राजाओं ने निजी और राज्य संपत्तियों के बीच कोई अंतर नही किया, वे अपने-अपने राज्यों के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते थे। राज्यों के एकीकरण के साथ शासक की निजी संपत्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित करना आवश्यक हो गया। समझौता एक कठिन और नाजुक कार्य था जो प्रत्येक मामले की विस्तृत और शांत परीक्षा की मांग करता था। चूंकि राज्य से राज्य तक की स्थिति और सीमा शुल्क भिन्न थे, इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए कोई पूर्ववर्ती सिद्धांत नहीं थे और पालन करने के लिए कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं थे। इसलिए प्रत्येक मामले को उसकी गुणों के आधार पर तय करना पड़ा. ”

इस न्यायालय ने आगे कहा कि निष्पक्षता का नियम और जमीदारी के सम्बन्ध में ज्येष्ठता का सिद्धान्त अथवा अन्य अपृथक्करणीय सम्पत्ति को प्रथाओ की सिद्धता के द्वारा अवश्य स्थापित करना चाहियें, लेकिन एक संप्रभु शासक के मामले में, उनका अस्तित्व माना जाता है। यह भी देखा गया कि शासक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं निकाला जा सकता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि 26. 01. 1950 को

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारत के गणतंत्र बनने के बाद भारत में कोई राजशाही शासन नहीं था, "लेकिन यदि संपत्ति अपृथक्करणीय है तो यह ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त द्वारा शासित होता रहेगा।''

24. नभा राज्य के विलीनीकरण के विलेख का अनुच्छेद 12 वस्तुतः प्रदर्श 4 के अनुच्छेद 4 के समान है। नभा मामले में यह न्यायालय के अनुसारः-

> '78. - अनुच्छेद XII को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि निजी संपत्तियों और राज्य संपत्तियों के बीच स्पष्ट अंतर है। ऐसी निजी संपत्ति राजा से संबंधित होनी चाहिए और पहले भी उसके उपयोग और आनंद में होनी चाहिए। इसलिए, ऐसी संपत्तियां जिन्हें पहले भी निजी संपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई थी, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए और मान्यता के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसा कि श्वेत पत्र (उपरोक्त के पैरा 157, पृष्ठ 23) में कहा गया है, एकीकरण के प्रयोजनों के लिए सीमांकन और सूची का निपटान किया गया था। यदि यह कानून की सही स्थिति है, तो विद्वत एकल न्यायाधीश के विपरीत अवलोकन सही नहीं हैं। "

25. हमारा विचार है कि ऊपर दी गई टिप्पणियों को निर्णय के पहले भाग में आयोजित किया गया था, जहां उसी निर्णय में यह माना गया था कि

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

शासक की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के मध्य कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह का कोई भेद नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी संपत्ति को भारतीय उपनिवेश से राज्य को प्रथक करने से पहले शासक की निजी संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जा रही है, उत्पन्न नहीं होती है।

26. इस न्यायालय ने माना कि शिमला और दिल्ली में दोनों सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति थी न कि महाराजा रिपुदमन सिंह के व्यक्तिगत सम्पत्ति थी और इसलिए, ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त द्वारा शासित होगी।

27. प्रारम्भ में हम ध्यान दे सकते है कि दोनों **त्रावणकोर और नाभा के मामलों में**, शासकों के जीवनकाल में मुकदमा दायर किया गया था, जिसने राज्य को भारतीय संघ को सौंप दिया था। राजाओं के सपिण्ड ने मुकदमा दायर कर संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि संपत्ति शासक के हाथों एक अविभाज्य संपत्ति बन गई थी। जहां तक त्रावणकोर मामले का सवाल है, हम पाते हैं कि प्रतिवादियों को इस निर्णय से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यह, वास्तव में, अपीलकर्ताओं के मामले का समर्थन करता है क्योंकि यह माना जाता है कि विचाराधीन संपत्ति

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

त्रावणकोर के महाराजा की व्यक्तिगत संपत्ति थी और इसलिए, विभाजन के अधीन नहीं थी। जहां तक नाभा मामले का सवाल है, हमने उस मामले के तथ्यों को विस्तार से यह दिखाने के लिए दिया है कि मुख्य विवाद यह था कि क्या महाराजा रिपूदमन सिंह ने संपत्ति को अपने व्यक्तिगत धन से या नाभा राज्य के धन से खरीदी थी। इस न्यायालय ने माना कि जब महाराजा एकमात्र संप्रभु थे, तो निजी या व्यक्तिगत संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता था। जैसा कि महाराजा रिपूदमन सिंह 1923 में उनकी शक्तियों को छीन लेने तक संप्रभु थे, और इससे पहले कि उन्हें अंततः 1928 में हटा दिया गया था, शिमला और दिल्ली में दोनों संपत्तियों को महाराजा के समय खरीदा गया था और यह इस तथ्य की खोज थी कि ये संपत्तियां राज्य के धन से खरीदी गयी थी। इन संपत्तियों का उल्लेख विलय के विलेख में महाराजा प्रताप सिंह के निजी संपत्तियों की सूची में भी पाया गया। विवाद तब पैदा हुए जब महाराजा प्रताप सिंह शासन कर रहे थे और जीवित थे। उत्तराधिकार का प्रश्न यह नहीं था। अदालत ने माना कि महाराजा की व्यक्तिगत संपत्ति होने वाली संपत्तियां विभाजन के अधीन नहीं हो सकती थीं। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि एक क्षणभंगुर टिप्पणी है कि संपत्ति एक

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अविभाज्य संपत्ति का हिस्सा थी और इसलिए, ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त द्वारा शासित होगी। हमारे विचार में, यह प्रश्न विचार के लिए नहीं उत्पन्न हुआ और इस न्यायालय ने इस सवाल का फैसला नहीं किया कि क्या शासक के शासक न रहने के बाद अविभाज्य संपत्ति अस्तित्व में बनी रही।

28. अन्य दो निर्णय उत्तराधिकार के मुद्दों से संबंधित नहीं हैं किंतु दोनों निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1950 के पश्चात् सभी प्रयोजनों के लिए 'शासक' किसी अन्य सामान्य नागरिक की तरह इन संपत्तियों का स्वामित्व करेगा। विश्वेश्वर राव मामले (उपरोक्त) में यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया था कि प्रत्याभूति या आश्वासन शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गणमान्य व्यक्तियों तक सीमित थे, जो एक शासक की तरह रहेगें और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति तक नहीं पहुंचते हैं। इसी तरह के अवलोकन सुधांशु शेखर सिंह देव (उपरोक्त) के मामले में किए गए थे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

29. उच्च न्यायालय ने **माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ,(1971)1 एससीसी 85**, आदि के मामले में कुछ टिप्पणियों पर विश्वास किया। उच्चतम न्यायालय, जिसे सामान्यतः " प्रिंसिपल्स प्रिवी पर्स मामला" कहा जाता है इस मामले में मुख्य रूप से इस मुद्दे पर विचार किया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां क्या हैं और क्या कार्यकारी निर्देशों द्वारा संघ राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) और अन्य विशेषाधिकारों को वापस ले सकता है जिनकी प्रत्याभूति शासकों को दी गई थी। न्यायालय ने माना कि कार्यपालिका के पास संविधान के जनादेश का उल्लंघन करने की कोई शक्ति नहीं है और चूंकि समझौतों द्वारा दी गई प्रत्याभूति को संविधान में मान्यता दी गई थी, इसलिए उन्हें कार्यकारी आदेशों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता था।

30. उच्च न्यायालय ने माना कि **धौलपुर मामले** के निर्णय में **प्रिंस प्रिवी पर्स मामले** में उलट दिया गया था। हम उच्च न्यायालय की इस खोज से सहमत नही हो पा रहे है। धौलपुर मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति द्वारा राजतंत्र की मान्यता राष्ट्रपति में निहित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

“राजनीतिक” शक्ति का प्रयोग है यह प्रीवी पर्स मामले में आग्रह किया गया था हांलाकी राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) को वापस लेने की अधिसूचना भी 'राजनीतिक' शक्ति प्रयोग में थी और, इसलिए, अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सका, इन टिप्पणियों के संबंध में प्रिंसेस प्रिवी पर्स मामले में जो कुछ कहा गया था, वह यह था कि ढोलपुर मामले में न्यायालय ने “राजनीतिक शक्ति” शब्दों का अनुचित प्रयोग किया था। धौलपुर मामले में न्यायमूर्ती जे.सी. शाह नें प्रिंसिस प्रिवी पर्स्स मामले में, निम्नानुसार धारित किया गया हैं:-

> “98..... कुंवर श्री वीर राजेंद्र सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, 1969 (3) एससीसी 150,जस्टिस. हेगड़े ,में इस अदालत ने एक आवेदक के दावे को नकार दिया कि संपत्ति के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया था क्योंकि राष्ट्रपति ने ढोलपुर के गद्दी के लिए एक और दावेदार को शासक के रूप में स्वीकार किया था, यह देखते हुए कि राष्ट्रपति द्वारा शासकों की मान्यता, उनकी राजनीतिक शक्ति के प्रयोग में शासक के निजी संम्पत्ति के किसी भी अधिकार को मान्यता देने के उपयुक्त नहीं थी। न्यायालय ने अनुच्छेद 366 (22) के अधीन राष्ट्रपति के कृत्य के प्रयोग को कार्यपालिका के कृत्यों से भिन्न रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास नहीं किया; इस उक्ति से स्पष्ट है कि

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग “संपूर्ण रूप से कार्यपालक कृत्य का एक उदाहरण था।

न्यायमूर्ति शाह, इस तर्क पर विचार करते हुये निम्न धारित करते हैं:-

"141.... इस न्यायालय के कीसी निर्णय में आने वाले शब्द या वाक्य के खंड को उसके सन्दर्भ से काटकर ,इसी प्रश्न पर विधि की विवेचना करने वाला मानना, जब की प्रश्न उस निर्णय में उत्तरित होने के लिए न आया हो, कठिन है ”

जस्टिस. हेगड़े, जो इस बेंच के एक सदस्य भी थे, जिन्होनें धौलपुर मामले में को निर्धारित किया है, इस तर्क पर विचार करते हुए निम्न धारित करते हैः-

‘178- उस मामले में जो कहा गया है वह यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 366 (22) के अधीन कार्य करते समय अपनी कार्यकारी अधिकारिता का प्रयोग करता है और उस अधिकारिता को “राजनीतिक शक्ति” कहा जाता है, यह अभिव्यक्ति अनुचित हो सकती है लेकिन यह निर्णय का आधार नहीं है। यह एक आकस्मिक अवलोकन था। कार्यपालिका और नागरिकों के बीच संबंध के मामले में हमारे संविधान में राजनीतिक शक्ति जैसी कुछ भी नहीं है। हमारा संविधान केवल तीन शक्तियों को मान्यता देता है, अर्थात विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। यह किसी अन्य शक्ति को मान्यता नहीं देता है। हमारे देश में कार्यपालिका नागरिकों पर किसी भी संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर सकती है। इस देश में

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

कानूनी संप्रभुता संविधान के साथ निहित है और राजनीतिक संप्रभुता इस देश के लोगों के साथ है। कार्यपालिका के पास कोई प्रभुता नहीं होती.....।'

उक्त तर्कों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर ने कहा कि हालांकि कुछ अवलोकन अटॉर्नी जनरल के विवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें उस मामलें के तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। **धौलपुर मामले** में अपीलकर्ता ने गद्दी के अधिकार का दावा नहीं किया, बल्कि केवल मृतक शासक की निजी संपत्तियों पर और संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (22) के तहत जारी अधिसूचना में निजी संपत्तियों पर कार्य नहीं करता।

31. हमारे विचार में, **धौलपुर मामले** कें निर्णय को अपास्त हुआ नही कहा जा सकता है या जिसे **प्रिंसेस प्रिवी पर्स मामले** में उलट दिया गया है। क्या अभिनिर्धारित किया गया था कि धौलपुर मामले में "राजनीतिक शक्ति" पद का प्रयोग अनुचित था और उचित शब्द 'कार्यपालिकीय शक्ति' होना चाहिए था। वास्तव में, धौलपुर मामले में वाक्य के अगले भाग में यह लिखा है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"और इस प्रकार राष्ट्रपति की विशुद्धतः कार्यपालिका अधिकारिता का उदाहरण है" **प्रिंसेस प्रिवी पर्स मामले का** अवलोकन यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि धौलपुर मामलें के निर्णय में कोई प्रभाव नही पड़ेगा

32. मुद्दा यह है कि क्या विलय विलेख को निष्पादित करने के बाद शासक, शासक बने रहे। वे अपने राज्यों को भारतीय संघ में विलीन करने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) का भुगतान किया जा रहा था। वे कुछ संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति घोषित करने के भी हकदार थे। विवादों के मामले में कि क्या संपत्ति निजी या राज्य की संपत्ति है, संघ एक न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को निर्णय के लिए विवाद का उल्लेख कर सकता है। शासक लंबें समय तक संप्रभु नहीं रहें। राजाओं में कोई सर्वोपरि सत्ता नहीं थी। उनके पास निजी संपत्तियों के अलावा कोई जमीन नहीं थी। उनके पास कोई विषय नहीं था। वे केवल उनके नाम पर शासक थे, जो उनके मूल शीर्षक, एक राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स), कुछ विशेषाधिकारों आदि को मान्यता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

देते थे। मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह (जैसा कि वे तब थे) ने **प्रिंसेस प्रिवी पर्स केस** में अपने अतुलनीय तरीके से इस प्रकार रखा:

> "40..... सर्वोपरि के रूप में ऐसा नहीं था क्योंकि कोई सर्वोपरि शक्ति नहीं थी और कोई जागीरदार नहीं था। राजाओं ने अपना राज्य-क्षेत्र तथा शासन करने और उनका प्रशासन करने का उनका अधिकार खो दिया था। उन्हें केवल उनके मूल शीर्षक,राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स), उनकी निजी संपत्तियों और कुछ विशेषाधिकारों की मान्यता दी गई थी। ये अधिकार उनकी पूर्व संप्रभुता के एकमात्र संकेत थे, लेकिन वे संविधान की ताकत से उनका उपयोग करते थे, हालांकि हर मायने में वे साधारण नागरिक थे और शक्तिशाली नहीं थे.....

33. जाहिर है कि शासक केवल नाम के शासक थे। उनके पास व्यक्तिगत संपत्तियों को छोड़कर कोई अन्य जमीन नहीं रख सकते थे। कोई विषय नहीं था। वे बिना प्रजा और बिना किसी संप्रभुता के और बिना किसी क्षेत्र के महाराजा या राजा थे।

34. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (22) में शासक की परिभाषा से ही पता चलता है कि जिस व्यक्ति को शासक के रूप में परिभाषित किया गया है वह पूर्व राजकुमार, मुख्य या अन्य व्यक्ति है, जिसे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

26. 01. 1950 को या उसके बाद एक शासक के रूप में मान्यता दी गई थी, और जिसने विलय के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए थे। आवश्यक रूप से, शासक वह व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वतंत्रता से पहले मान्यता प्राप्त थी और वह अपने राज्य का संप्रभु था। ऐसे व्यक्ति का, यद्यपि 'शासक' के रूप में परिभाषित किया गया है, कोई राज्यक्षेत्र नहीं है और वह किसी विषय पर संप्रभुता का प्रयोग नहीं करता है। उसके पास एक शक्तिशाली शासक के कोई गुण नहीं हैं और न ही वह सभी शक्तियों और विशेषाधिकारों का आनंद लेता है जो आम तौर पर शक्तिशाली शासक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं । जैसा कि ***प्रिंसेस प्रिवी पर्सस केस*** के फैसले में जस्टिस शाह ने कहा था, " *वे भारत के नागरिक हैं जिनके पास कुछ विशेषाधिकार हैं क्योंकि उन्होंने या उनके पूर्ववर्ती ने अपने क्षेत्र, अपनी शक्तियों और अपनी संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया था।* "

35. राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 366 (22) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक शासक को उसकी सनक और कल्पना के आधार पर सूचित नहीं किया। जैसा कि ***प्रिंसेस प्रिवी पर्स केस*** में हुआ थाः-

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

> "288..... एक शासक के रूप में किसी व्यक्ति का उसकी मृत्यु पर किसी अन्य उत्तराधिकारी के होने का चुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रपति के केवल अधिकार क्षेत्र पर नहीं छोड़ा गया था। उसे उत्तराधिकारी का पता लगाना था और वह हिंदू कानून या मुस्लिम कानून के सामान्य नियमों को लागू नहीं कर सकता था, लेकिन किसी विशेष राज्य के गद्दी से संबंधित कानून और रीति-रिवाजों द्वारा....

36. विवादों के मामलों में ऐसे उदाहरण भी दिए गए जहां राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों और तत्कालीन शासकों की समितियों को संदर्भित किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 366 के खंड (22) के तहत घोषणा केवल गद्दी या प्रशासन से संबंधित है, न कि उन संपत्तियों से जो शासक द्वारा निजी संपत्ति घोषित की गई थीं।

37. श्री गंगुली द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संपत्ति के बिना कोई गद्दी नहीं हो सकती है और जिन संपत्तियों को निजी संपत्ति घोषित किया गया था, वे वास्तव में गद्दी से जुड़ी थीं और संपत्तियां शासक की होंगी, घोषित की जायेंगी। हम इस प्रकथन में कोई बल नहीं पाते हैं। ये बिना किसी विषय-वस्तु के राजा थे। ये बिना किसी क्षेत्र के शासक थे। ये कुछ विशेषाधिकारों और राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) का आनंद लेने वाले शासक

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कहलाते थे। उन्हें कुछ संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति घोषित करने का विकल्प दिया गया था और इन निजी संपत्तियों को गद्दी से संलग्न नहीं कहा जा सकता था। जब वे वास्तविक संप्रभु थे, तो उनका पूरा राज्य गद्दी से जुड़ा हुआ था न कि किसी विशेष संपत्ति से। यहां पर कोई विशिष्ट सम्पत्ति नहीं हैं जो गद्दी से जुड़ सकती हों। इसे संपूर्ण राज्य होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिये चूंकि, हमने माना है कि वे केवल शिष्टाचार के रूप में शासक थे, अपने पूर्ववर्ती उपाधियों की रक्षा के लिए, जिन संपत्तियों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति घोषित किया गया था, उन्हें उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में माना जाना था और उन्हें गद्दी से जुड़ी संपत्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता था।

38. श्री चंद्रा ने राजपाल हिंदी शबदोश(राजपाल हिन्दी शब्दकोश, डा. हरदेव बहरी, राजपाल एंड संस, पृष्ठ 206 (2018)) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें गद्दी को छोटे गद्दे, एक बड़े व्यक्ति की सीट, एक शासक की उपाधि सहित विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी (ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, आर.एस. मैकग्रेसर द्वारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रकाशित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ संख्या-254 (2018)) में, दिए गए अर्थ cushion, throne, royal seat, etc,हैं। संपत्ति का उल्लेख गद्दी के एक गुण के रूप में नहीं किया गया है।

39. एक गद्दी या शासक और निजी संपत्ति के विलय समझौते / परिग्रहण के साधन में भी दो अलग-अलग अर्थ हैं। समझौते के अनुच्छेद 2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नवाब वही व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और सम्मान तथा अन्य उपाधियां प्राप्त करते रहेंगे जिनका उन्होनें करार के पूर्व में उपभोग किया होगा। 'संपत्ति' या 'व्यक्तिगत संपत्ति' शब्द स्पष्ट रूप से गायब है। अनुच्छेद 2 केवल व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, गणमान्य व्यक्तियों आदि के बारे में है, अनुच्छेद 3 राज्य भत्ते (प्रीवी पर्स) से संबंधित है जो प्रशासन या गद्दी का एक हिस्सा होगा। अनुच्छेद 6 जो उत्तराधिकार से संबंधित है, कानून के अनुसार उत्तराधिकार की गारंटी देता है और राज्य के गद्दी और नवाब के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, प्रतिरक्षा, गरिमा और शीर्षक के अनुसार है गद्दी नवाब का 'सिंहासन' या 'पद' उस संदर्भ में होगा जिसमें उसका प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, सम्मान

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और उपाधियां होंगी। संपत्ति 'शब्द भी अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

40. अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नवाब राज्य की संपत्तियों से भिन्न सभी प्राइवेट संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और उपभोग के हकदार होंगे। इस तरह की संपत्तियां समझौते की तारीख के अनुसार होनी चाहिए। हमारे विचार में, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 4 में वर्णित संपत्तियों से संबंधित नहीं है और ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियां देश के एक सामान्य नागरिक की निजी संपत्तियों के रूप में रहेंगी। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वर्ष 1966 में शासक नवाब रज़ा अली खान की मृत्यु के बाद, उनकी निजी संपत्तियों का उत्तराधिकार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित था।

41. श्री ए. के. गंगुली ने **रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत के संघ 1994 सप्लिमेंट. (1) एससीसी 191** के मामले में टिप्पणियों पर भरोसा रखा। एतस्मिनपश्चात द्वितीय प्रीवी पर्स केश को सन्दर्भित किया गया। इस मामले

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में, तत्कालीन शासकों ने संविधान के 26 वें संशोधन 1971 को चुनौती दी, जिसके तहत शासकों को दिए गए लाभ, जैसा कि संविधान में अनुच्छेद 291 और 362 में वर्णित है, को हटा दिया गया था। यह पहले ***प्रिंसेस प्रिवी पर्स केश में*** निर्णय के बाद किया गया। जिसमें यह कहा गया था कि संविधान में सन्निहित तत्कालीन शासकों को दी गई गारंटी को कार्यपालिकीय आदेश द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, संसद ने संविधान में संशोधन किया और यह इस संदर्भ में था कि निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:

> 74. राज्यों के शासक द्वारा भारतीय सरकार के साथ किए गए समझौते में एकीकरण और सम्मिलन के साधारण दस्तावेज थे, और इन दस्तवेजों के अधीन दिया गया आश्वासन ओर गारंटियां जो केवल राज्य भत्ते के निर्धारण और विशेषाधिकारों की मान्यता के लिए थी। संविधान के तहत दी गई गारंटी और आश्वासन उन दस्तावेजों से स्वतंत्र थे। संविधान के आगमन के बाद शासकों को केवल संविधान की शक्ति से ही राज्य भत्ते, निजी संपत्तियों और विशेषाधिकारों के उपयोग का अधिकार प्राप्त था और अन्य मामलों में वे किसी अन्य नागरिक की तरह भारत के साधारण नागरिक थे; बेशक, यह इतिहास की एक दुर्घटना है और अपनी संविधान सभा में भारतीय जनता की सहमति से है।संविधान की शक्ति से ही राज्य भत्ते, निजी संपत्तियों और विशेषाधिकारों के उपयोग का अधिकार प्राप्त था

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और अन्य मामलों में वे किसी अन्य नागरिक की तरह भारत के साधारण नागरिक थे

75. इसलिए, यह कहने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि शासकों को दी गई गारंटी और आश्वासन पवित्र थे और अनुच्छेद 291 और 362 केवल समझौतों और अनुबन्धों की शर्तों को प्रतिबिंबित करते थे। वास्तव में जैसे ही संविधान लागू हुआ, वैसे ही अनुसमर्थित समझौतों को निष्पादित किया गया और राज्यों के द्वारा उसकी पुष्टि की गयी और राज्यों के संघ को संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेदो के अधीन औपचारिक समझौतों में सन्निहित किए गए और कोई भी दायित्व उन समझौतों और अनुबन्धों से नहीं बल्कि केवल संवैधानिक प्रावधानों से निकला है। दूशरे शब्दों में, संविधान में 291 और 362 के अनुच्छेदों के आने के बाद, समझौतों और अनुबन्धों का कोई अस्तित्व नहीं है। अनुबन्धों और समझौतों का संदर्भ आकस्मिक और सहायक था और दायित्व का स्रोत केवल संविधान का परिणाम था। अतः, 'गारंटीकृत' या 'सुनिश्चित' शब्दों के प्रयोग पर उत्पन्न विवाद बिना किसी बल के और बिल्कुल अस्थिर है।

42. हम इस मुद्दे से निपटने के लिए सीमित अर्थ नहीं हैं क्योंकि 26 वें संशोधन अधिनियम से पहले वर्ष 1966 में नवाब रज़ा अली खान की संपत्ति का उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हुआ। किंतु एक बात स्पष्ट है कि शासकों को संविधान की शक्ति से ही राज्य भत्ते, निजी संपत्तियों और

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विशेषाधिकारों के उपयोग का अधिकार प्राप्त था और अन्य मामलों में वे साधारण नागरिक थे। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि संविधान के तहत अधिकारों की गारंटी दी गई थी, इसलिए ज्येष्ठता (प्राइमोजेनरी) का सिद्धान्त लागू होगा। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, अनुच्छेद 362 में केवल भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और प्रतिष्ठाओं के प्रति निर्देश किया गया है और हमारे विचार में, व्यक्तिगत संपत्तियों के उत्तराधिकार में अधिकारों का समावेश नहीं होगा।

43. प्रतिवादियों की ओर से उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि नवाब रज़ा अली खान, यह जानते हुए कि उनका उत्तराधिकार प्राइमोजेनरी के नियम द्वारा शासित था, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के अलावा अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए 'द रज़ा ट्रस्ट' नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। उन्होंने अपने बच्चों के पक्ष में विभिन्न अन्य अनुदान और उपहार भी दिए थे, जबकि बड़े बेटे को इस तरह के लाभों से वंचित किया गया था। यह माना जाता है कि वादी और वादी का समर्थन करने वाले अन्य प्रतिवादियों ने उक्त ट्रस्ट और उपहारों का लाभ उठाया था और इसलिए, प्रतिवादी सं- 1 के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पात्रता को चुनौती नही दे सकता, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें केवल यह तय करना है कि कानूनी उत्तराधिकारियों की कानूनी पात्रता क्या था और किस तरीके से स्वर्गीय नवाब रज़ा अली खान की संपत्ति का उत्तराधिकार शासित होना था। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि ट्रस्ट, जिसे प्रतियोगी प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित किया गया है, वर्ष 1944 में बनाया गया था, इससे बहुत पहले कि नवाब ने अपनी संपत्ति भारत डोमिनियन को सौंप दी थी। उस समय, इसमें कोई संदेह नहीं था कि रामपुर राज्य की संपत्तियों का उत्तराधिकार प्राइमोजेनरी के नियम द्वारा शासित होगा। नवाब के शासक बनने के बाद भी, उन्होंने प्रतिवादी संख्या- 1 को अपने जीवनकाल के दौरान, रामपुर में रफत क्लब के नाम से ज्ञात संपत्ति के साथ कई अन्य व्यापक सम्पत्ति उपहार के रूप में दी है, जिसे प्रतिवादी संख्या- 1 को यूपी राज्य को 1961 बेच दिया। पूर्ववर्ती नवाब ने एक संपत्ति भी उपहार में दी

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कोठी बरेली और दिल्ली में एक घर में प्रतिवादी क्र। 1. डिवीजन बेंच और सीखा सिंगल जज दोनों ने माना कि इन संपत्तियों को तत्कालीन नवाब ने प्रतिवादी सं। 1 उन्हें केवल शासक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए दिया गया था और इसलिए, रामपुर के तत्कालीन नवाब के उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था.

44. हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में विरोधाभास पाते हैं। एक ओर, यह कहा जाता है कि वादी और अन्य परिवार के सदस्य यह आग्रह नहीं कर सकते हैं कि नवाब की संपत्ति को व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने रज़ा ट्रस्ट से लाभ और उनके जीवन काल में उपहार प्राप्त किया है और दूसरी ओर, जब यह प्रतिवादी सं.1 के द्वारा यह कहा जाता है कि दान केवल इस दृष्टि से किए गए थे कि प्रतिवादी सं.1 को भावी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। यदि उन्हें नवाब के सारी संपत्तियां

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्राप्त करना था तो उनके जीवन काल में उनके पक्ष में उनकों उपहार क्यों दिये जाते थे। इसलिए, इस तर्क को खारिज कर दिया गया है।

45. पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है कि यदि व्यक्तिगत कानून लागू होगा, तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 लागू होगा और चूंकि नवाब रज़ा अली खान शिया थे, उनकी संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनके उत्तराधिकारियों पर लागू होगी, जैसा कि शियाओं पर लागू होता है।

46. मुकदमे के लंम्बन के दौरान प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 1/1 और प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु के कारण समय-समय पर वादपत्र में संशोधन किया गया था। संशोधन के बाद, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के भागों को वादपत्र के पैरा 9 से तय किया गया था. इन भागों को किसी एक द्वारा विवादित नहीं किया गया है और न ही जिस तरीके से भाग तय किये है उस पर विवाद है। इसलिए, इन भागों को सही माना जाता है। पक्षकार, जो डिक्री का एक हिस्सा होगा जो वादपत्र के पैरा 9-एफ में निर्धारित शेयरों के अनुसार संपत्ति का हकदार होगा।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

47. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के निर्णयों को अपास्त करें, और वादपत्र के पैरा 9 के संदर्भ में सम्पत्ति के भागों का निर्धारण करें। अपील स्वीकार कर ली जाती है और डिक्री निम्न शर्तों में पारित की जाती है:-

(1). पार्टियां, व्यक्तिगत कानून के अनुसार, वादपत्र की अनुसूची अ और ब में उल्लिखित और संशोधित वादपत्र के पैरा 9-एफ में उल्लिखित, हिस्सेदारियों के अनुसार 'स्वर्गीय नवाब रजा अली खान' की संपत्तियों में उत्तराधिकार होने के हकदार होगें।,

(2). चौहद्दी और सीमा के द्वारा पहला प्रयास अचल संपत्तियों (अनुसूची ए में निर्धारित) कें संबंधित शेयरों, को विभाजित करने का होगा और इस उद्देश्य के लिए ट्रायल कोर्ट, इसकी सहायता के लिए एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है।

(3). यदि अचल संपत्तियों का विभाजन (वादपत्र के लिए अनुसूची ए में उल्लिखित किया गया है) चौहद्दी और सीमा से संभव नहीं है, तो परीक्षण न्यायालय ऑवेल्टी मनी(Owelty mony) को तय करेगा और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ताकि पहली बार में संपत्तियों को परिवार के भीतर रखने का प्रयास किए जाएं।

(4). नवाब रज़ा अली खान द्वारा पीछे छोड़ी गई चल संपत्तियों के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए (अनुसूची बी के अनुसार वादपपत्र में उल्लिखित), हम ट्रायल कोर्ट को एक आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। सम्पत्तियों को हिस्सेदारी के अनुसार विभाजित किया जायेगा और यदि वह संभव नहीं है तो ऑवेल्टी मनी(Owelty mony) तय किया जाएगा।

(5). मध्यवर्ती लाभ के डिक्री के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

(6). प्रतिवादी सं-1/2 और प्रतिवादी सं-1/3 उनके द्वारा विरासत में प्राप्त आय, लाभ, उपभोगाधिकार और लाभ या मृतक प्रतिवादी सं- 1 और मृतक प्रतिवादी सं.-1/1 के द्वारा उपयोग की गयी, के संबंध में खातों को प्रस्तुत करेगा। उनके हिस्से में आने वाली संपत्तियों के मूल्य और ऑवेल्टी मनी (Owelty mony) का निर्धारण करते समय इन्हें समायोजित किया जाएगा।

(7). ट्रायल कोर्ट यह भी निर्धारित करेगा कि इन कार्यवाहीयों के लंबन के दौरान प्रतिवादी सं-1 (मृतक के बाद से), प्रतिवादी सं-1/1 (मृतक के बाद से), प्रतिवादी सं-1/2 या प्रतिवादी सं-1/3 ने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किसी भी चल संपत्ति या अचल संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया है। तो इस तरह की बेची गई या हस्तांतरित की गई, चल संपत्ति या अचल संपत्ति का मूल्य स्पष्ट रूप से प्रतिवादी सं-1/2 और प्रतिवादी सं-1/3 के हिस्सों से काटा जाएगा।

(8). हम सभी पक्षों को 02. 09. 2019 को जिला न्यायाधीश, रामपुर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं और जिला न्यायाधीश, रामपुर से अनुरोध करते हैं कि वे मामले को अपने निर्णय की सूची पर रखें और आगे बढ़ें। जिला न्यायाधीश पहले उत्तराधिकार के नियम के संबंध में मुख्य विवाद और हिस्सों के निर्धारण के बाद से आपसी समझौते द्वारा संपत्तियों के वास्तविक विभाजन के लिए पार्टियों पर प्रभाव डालने का प्रयास कर सकते हैं।

(9). चूंकि मुकदमा लगभग आधी सदी से लंबित है और पार्टियां 5 से अधिक दशकों से मुकदमेबाजी कर रही हैं और पक्षकरों में कुछ अत्यधिक उम्र के हो चुकें हैं, हम विचारण न्यायालय को हमारे निर्देशों के संदर्भ में मामला जल्द से जल्द लेकिन, किसी भी कीमत में, 31. 12. 2020 के बाद नहीं, का निस्तारण करने का निर्देश देते हैं।

48. आइ. ए. संख्या 3/2014 को खारिज किया जाता है। हालांकि, आवेदक अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए एक दीवानी सूट दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

49. जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर अवमानना याचिका में को आदेश नहीं है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

50. अन्य सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाता है। व्यय का कोई आदेश नही है।

.....
(न्यायमूर्ती रंजन गोगोई,)

.....
(न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता,)

.....
(न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस,)

नई दिल्ली
31 July, 2019.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।